03-3-20

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-102/2020

राज्य

बनाम

1. प्रमोद मंडल, पिता पुलकित मंडल, सा0-रैयपुरा, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया। (जप्त टम्पो सं0-BR11PB-5607 के स्वामी)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **भवानीपुर थाना कांड सं0-197/2019** नांक 23.12.19 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक** ›7/हि0शा0 दिनांक 19.02.2020 द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के वलोकन से स्पष्ट होता है कि **उक्त वाहन की जाँच दिनांक 23.12.19 को भवानीपुर** ब्ली पट्टी के पास की गई। जांच के क्रम में जप्त वाहन से **रॉयल स्टेग व्हिस्की का 84** तल (प्रति बोतल 375मि0ली0) विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार र प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की ई है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। का कथन है कि विपक्षी वाहन मालिक घटना के संबंध में अनभिज्ञ हैं। चालक रा वाहन का उपयोग किया जा रहा था। वाहन जप्ती के समय चालक उपलब्ध हीं था। विपक्षी Under Taking देने के लिए तैयार हैं। अतएव वाहन मुक्त करने की ग की जाए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। के द्वारा बताया गया कि **जप्त वाहन से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 84 बोतल (प्रति बोतल 5मि0ली0) विदेशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है।** इस प्रकार जप्त हन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने रणपृच्छा में जप्त शराब के संबंध में किसी प्रकार का तथ्य नहीं लाया गया है। का कारणपृच्छा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद धिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, सकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि **"उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, यान या परिवहन के अन्य साधन।"** स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का वहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और ाद अधिनियम 2016 की धारा-99 **"विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद धिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से धित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के धान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये गे।"** ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त

विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी का कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त टम्पो सं0-BR11PB-5607** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

23/03/2020

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।